B.A.LLB 2nd year
paper - I"
Manu.

Political - II

Unit - I

★ मनु स्मृति

1- हिन्दुओ का विधिक साहित्य तीन वर्गों मे विभाजित है - धर्मसूत्र, धर्मशास्त्र और टीकाएँ। इन तीनो वर्गों मे धर्मशास्त्र का सर्वाधिक महत्व है।

2- धर्मशास्त्रो में प्रमुख स्थान मनुस्मृति तथा मानव धर्मशास्त्र का है, जिसके प्रणेता मनु है।

3- प्राचीन वैदिक साहित्य के अनुसार, मनु पृथ्वी पर मानवजाति के पिता थे।

4- मजूमदार एवं पुसालकार के अनुसार मनुस्मृति का रचनात्मक काल ई॰पू॰ 3110 वर्ष है।

5- वर्तमान में मनुस्मृति में 12 अध्याय तथा 2,694 श्लोक है।

★ मनु की सप्तांग राज्य की अवधारणा

Date / /
Page No.

1- मनु ने राज्य को सावयव माना है तथा इसके सात अंग बताए है। यह इस प्रकार है- स्वामी, मंत्री, पुर, राष्ट्र, कोष, दण्ड तथा मित्र।

2- मनु ने राजपद की उत्पत्ति को दैविक अथवा ईश्वरीय माना है।

3- मनु ने राजा के लिए निम्नलिखित आवश्यक गुण बताए हैं।

★ राजा के गुण

4- राज्य के सप्त अंगो मे राजा सर्वोच्च और प्रथम होता है। अतः मनु के अनुसार राजा को विशिष्ट गुणो युक्त होना चाहिए।

5- इसके अलावा मनु का ~~ष्~~ यह कथन है कि राजा दैविक शक्ति का प्रतीक है। अतः उसका कर्तव्य है कि वह अपने को दैविक गुणो से युक्त करे।

6- मनु के अनुसार राजा विद्वान होना चाहिए। उसे तीनो ~~के~~ वेदो का ज्ञान होना चाहिए। और अपनी जितेन्द्रिय न्यायी विद्वान होनी चाहिए।

★ राजा के कार्य

Date / /
Page No.

1. दुर्ग (किला) :- राजा को अपनी सुरक्षा के लिए पर्वतीय दुर्ग में निवास करना चाहिए। पर्वतीय दुर्ग सुरक्षा की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ होता है।

2. यज्ञ - राजा को अश्वमेघ और विश्वजीत यज्ञो का आयोजन करना चाहिए। साथ ही उसे ब्राह्मणो को अधिक मात्रा में धन दान करना चाहिए।

★ राज्य की सुरक्षा तथा शान्ति की व्यवस्था करना।

मनु के अनुसार राजा का प्रमुख कर्तव्य जनता कि रक्षा तथा राज्य में शान्ति बनाये रखना है। और राजा को अपनी प्रजा के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए। और अपनी प्रजा की रक्षा करनी चाहिए।

★ युद्ध प्रियता एवं साम्राज्य विस्तार करना

मनु के अनुसार राजा को युद्ध प्रिय होना चाहिए। तथा युद्ध से नहीं डरना चाहिए तथा उसे प्राप्त भूमि की रक्षा के अलावा अप्राप्त भूमि को प्राप्त करने का भी प्रयास करना चाहिए।

• राजा का यह परम कर्तव्य है कि वह हमेशा सेना को तैयार रखे तथा समय - समय पर

अपनी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करता रहे। राजा को अपने व्यवहार मे सजकता रखनी चाहिए।

★ मंत्रीपरिषद (Concil of Ministers)

मनु के शासन कार्यो के सफल संचालन के लिए [7] या [8] मंत्रियो की एक मंत्रीपरिषद को आवश्यक बताया। उन्होने ऐसे व्यक्तियो को मंत्रीपद देने का सुझाव दिया जो कि कुलीन, शास्त्रज्ञाता, शूरवीर, शस्त्र विद्या मे निपुण हो।

★ पुर (Fortified City)

मनु ने पुर का आशय किला या परकोट से लिया है,। पुर पूरी तरह सुरक्षित होना चाहिए तथा उसमे रक्षा एवं भरण-पोषण की उचित व्यवस्था होनी चाहिए।

2· मनु ने पुर की कई श्रेणियाँ बताई है, जिनमे प्रमुख है – मीह दुर्ग, जल दुर्ग, वृक्ष दुर्ग, और गिरि दुर्ग।

★ राष्ट्र (Nation)

मनु ने 'राष्ट्र' शब्द का प्रयोग जनपद के सन्दर्भ मे किया है।

★ कोष (Treasury)

मनु ने कोष को सप्तांग राज्य का एक आवश्यक अंग माना है तथा इसे भरने के लिए विभिन्न प्रकार के करों का प्रावधान किया है।

★ दण्ड (Punishment)

मनु का ~~दण्ड~~ दण्ड से आशय 'सेना' से है। उन्होंने सेना के निम्नलिखित अंगो का उल्लेख किया है - हस्तिसेना, रथ सेना, अश्व सेना तथा नौ सेना।

★ मित्र (Alley)

मनु ने मित्र का आशय अंतराष्ट्रीय राजनीति मे राज्य के मित्र अथवा एक राज्य के अन्य राज्यो के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध से लिया है।

★ **मनु का सामाजिक सिद्धांत**

1- वर्णो के अनुसार सामाजिक स्तरीकरण:-

मनुस्मृति में धर्म और कर्म के आधार पर समाज को चार वर्गो में बाँटा गया है और इन चारो वर्गो को वर्ण का नाम दिया गया है। मनु स्मृति के अनुसार ये चार वर्ण है -ब्राह्मण,

क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र।

- मनुस्मृति में वर्णित सामाजिक व्यवस्था में ब्राह्मण वर्ग को सर्वोच्च स्थिति प्राप्त है। ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न होने के कारण ब्राह्मण ज्येष्ठ हैं तथा वे वेदों को धारण करने वाले हैं।

- ब्राह्मणों को सम्पूर्ण सृष्टि का स्वामी माना गया है। मनुस्मृति में कहा गया है कि ब्राह्मण धर्म की रक्षा करने की अपनी क्षमता के कारण ही सर्वश्रेष्ठ है।

- द्वितीय स्थान पर क्षत्रिय वर्ण को रखा गया है। यह वर्ण शक्ति संचय तथा संरक्षण का सूचक था।

- मनु ने तृतीय स्थान पर वैश्य वर्ण को रखा है। यह वर्ण आर्थिक व्यवस्था के संचालन का सूचक था।

- चतुर्थ पर शूद्र वर्ण को रखा गया है यह श्रम तथा सेवा का सूचक था।

2- श्रम विभाजन और कार्य विशेषीकरण वर्ण व्यवस्था का आधार

मनु द्वारा प्रतिपादित वर्ण व्यवस्था पूर्णतः श्रम विभाजन व कार्य विशेषीकरण पर आधारित है। इसमे चारों वर्णों के

के लिए कार्य सुनिश्चित किए गए हैं। वे इस प्रकार हैं-

- ब्राह्मणों का कार्य वेदों का अध्ययन व अध्यापन है, क्षत्रियों का कार्य प्रजा की रक्षा करना, दान देना, यज्ञ करना है, वैश्यों का कार्य कृषि करना, व्यापार करना, ब्याज लेना, दान देना, यज्ञ करना है।

- शूद्रों का कार्य तीनों वर्णों की सेवा करना है।

3- ब्राह्मणों का विशेष स्थान :-

मनु ने अपनी वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मणों को सर्वोच्च व विशेष स्थिति प्रदान की है, जबकि शूद्रों के प्रति अपमान व भेदभाव का दृष्टिकोण अपनाया है।

- ब्राह्मणों के कई कार्य सुरक्षित रखे गए हैं, जिनमें क्षत्रिय व वैश्यों को हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है।

- ब्राह्मण को धर्म का अवतार, धर्म की रक्षा के लिए समर्थ तथा मोक्ष प्राप्ति के लिए उपयुक्त माना गया है।

- पृथ्वी के समस्त धन वैभव को ब्राह्मण सम्पत्ति माना है।

Date / /
Page No.

★ कौटिल्य / मनु की षाड्गुण्ड नीति (Six points of Kautilya)

मनु के अंतरराज्य नीति का विवरण किया है। मनु स्मृति में जिस नीति का वर्णन किया है वह अंतः राज्य नीति है। मंडल नीति के अतिरिक्त मनु ने षड्गुण नीति का वर्णन किया है। राजा को इन नीतियों को समय, परिस्थिति एवं स्थान के अनुसार ~~सर्वगुण~~ षड्गुण नीति के 6 गुण अथवा सिद्धांत है

1. सन्धि - कौटिल्य के मतानुसार किसी भी राजा के लिए सन्धि करने की नीति का प्रमुख उद्देश्य अपने शत्रु की शक्ति को कम करना तथा स्वयं को शक्तिशाली बनाना होता है।

2. विग्रह - विग्रह का तात्पर्य है युद्ध इस नीति का उपयोग राजा को उस समय करना चाहिए, जब राजा शत्रु को निर्बल देखे, स्वयं उसकी युद्ध व्यवस्थाएं हो तथा वह अपनी शक्ति से पूर्णतया संतुष्ट हो।

3. यान - यान का अभिप्राय ~~वास्त~~ वास्तविक आक्रमण है। इस नीति का प्रयोग उस समय किया जाना चाहिए, जबकि राजा अपनी स्थिति को पूर्ण सुदृढ़ देखे और ऐसा अनुभव करे कि आक्रमण का मार्ग अपनाने के लिए शत्रु को वश में करना सम्भव नहीं है। विग्रह और यान में मात्र स्तर का ही अंतर है। यान विग्रह से कई आगे है

4- आसन - जब विजिगीषु और शत्रु समान रूप से शक्तिशाली हों तो राजा को आसन अथवा तटस्थता की नीति का अनुसरण करना चाहिए। आसन की नीति अपनाते हुए राजा को अपनी शक्ति को बढ़ाने का निरन्तर प्रयास करना चाहिए।

5- संश्रय - संश्रय का तात्पर्य बलवान का आश्रय लिये जाने से है। यदि राजा शत्रु को क्षति पहुँचाने का सामर्थ्य नहीं रखता, साथ ही यदि वह अपनी स्व रक्षा करने में असमर्थ हो, तो उसे शक्तिशाली राजा का आश्रय प्राप्त करना चाहिए।

6- द्वैधीभाव - मनु के अनुसार द्वैधी भाव का यह अर्थ है कि वह राजा अपने शत्रु को सभी प्रकार से विशेष बलवान समझे तब कुछ सेना को साथ लेकर अपने किले के अंदर रहे। और कुछ सेना के साथ सेनापति को शत्रु का सामना करने के लिए भेजे। सेना को इस तरह बाँटना ही द्वैध भाव है।

★ कौटिल्य का राज्य संबंधी सप्तांग सिद्धांत

कौटिल्य ने सप्तांग सिद्धांत से सम्बंधित अपने विचार आचार्या मनु द्वारा प्रतिपादित सप्तांग सिद्धांत से सम्बंधित दिए। सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य को